न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 18/2019

1. चांद पुत्र लादू जाति डाढी निवासी निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनाक 20.12.2019

उपस्थित पक्षकारः- श्री धर्मवीर बामनिया (अधिवक्ता प्राथी)
पैरोकार सरकार

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा नीमेडा पठवार हल्का नीमेडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. 227 में दर्ज खसरा नं. 235 रकबा 1.32 व 235/2339 रकबा 0.71 किता 2 कुल रकबा 2.03 हैं0 में प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात हैं जो प्रार्थी के पिता लादू पुत्र कजोड जाति डाढी निवासी नीमेडा के स्वर्गवास पश्चात् जरिये विरासत प्राप्त हुई है। उक्त भूमि बाबत दर्ज नामान्तकरण सं. 29 तस्दीक करते समय प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम चांद पुत्र लादू जाति डाढी दर्ज किया गया था किन्तु राजस्व जमाबंदी में दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सहवनवश चांद पुत्र लादू जाति डाढी के स्थान पर चांद पत्नि लादू डाढी दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा विरासती नामान्तकरण सं. 29, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, परिवार पहचान कार्ड, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा नीमेडा पठवार हल्का नीमेडा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. 227 में दर्ज खसरा नं. 235 रकबा 1.32 व 235/2339 रकबा 0.71 किता 2 कुल रकबा 2.03 हैं0 में सहखातेदारी में दर्ज खातेदार चांद पत्नि लादू कौम डाढी के स्थान पर चांद पुत्र लादू कौम डाढी दुरूस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2019 को में सुनाया गयां।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

Scanned with CamScanner